

-:नोटिस:-

विषय-फार्म मिसिंग के सम्बंध में

केन्द्रीय वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश नियमावली-1957 के नियम-8 के उपनियम-(13) के प्राविधानों के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के सम्बंध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा :-

क्रम सं०	व्यापारी का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० झाँसी ।	फार्म-सी सं०- 1338785व 1338786	खोने के कारण	02

५
12.08.17

(राजेश कुमार जैन)

एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर,


मुख्यालय, लखनऊ ।

पृ०प०सं०एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण ,मुद्रण लेखन सामग्री,30प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें ,तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
2. अपर मुख्य सचिव,कर एवं निबन्धन विभाग, 30प्र०शासन, सचिवालय लखनऊ ।
3. संयुक्त सचिव,कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र०शासन, सचिवालय लखनऊ ।
4. समस्त आयुक्त वाणिज्य कर/आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघो को ।

5. महालेखाकार उत्तर प्रदेश 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
6. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिसबार्ड पर लगाएं तथा सभी व्यापारित संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
7. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिसबार्ड पर लगाएं तथा सभी व्यापारित संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
8. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त डिप्टी कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
10. ज्वाइन्ट कमिश्नर, (उच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर इलाहाबाद/लखनऊ ।
11. डिप्टी कमिश्नर(आई०टी०)वाणिज्यकर,मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
12. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी चाहे जिस कार्य में लगे हों ।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।
14. मैनुअल अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ ।



(डी०पी०सिंह)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।